



“नए बने अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरुव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा
रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए पात्र
एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)”

निविदा सूचना सं. एनआईएचएफडबल्यू / डब्ल्यूएस / 37-7 / 2022

दिनांक: 27-05-2022

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एवं परिवार कल्याण,
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067
फ़ोन: 91-11-26165959, 91-11-26166441, 91-11-26188485, 91-11-
26107773
फैक्स: 91-11-26101623
वेब साइट: www.nihfw.org

अस्वीकरण

इस ईओआई डोक्यूमेंट में उल्लेखित या बाद में बिडरों/एजेंसियों या आवेदकों को प्रदान की गयी जानकारी, चाहे मौखिक रूप से या दस्तावेज के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान या उनके कर्मचारी या सलाहकारों की ओर से नियम तथा शर्तों पर बिडरों को प्रदान की जाती है, इसे ईओआई डोक्यूमेंट तथा अन्य सभी नियमों तथा शर्तों में निर्धारित किया गया है तथा उसी के अधीन ही ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

यह ईओआई डोक्यूमेंट एक एग्रीमेंट नहीं है तथा संस्थान द्वारा बोली लगाने / दर क्वोट करने के लिए योग्य आवेदकों के अलावा किसी अन्य पार्टी के लिए एक प्रस्ताव या निमंत्रण नहीं है। इस ईओआई डोक्यूमेंट का सिद्धांत (उद्देश्य) बिडर्स को उनके प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है। इस दस्तावेज में प्रत्येक बिडर्स द्वारा अपेक्षित(आवश्यक) सभी जानकारी शामिल करने का अभिप्राय (दावा) नहीं है। यह दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है तथा रास्वापक. संस्थान , उनके कर्मचारियों या सलाहकारों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इस दस्तावेज को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक बिडर्स की निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति तथा विशेष आवश्यकताओं पर विचार करें। प्रत्येक बिडर्स को जांच एवं विश्लेषण करना चाहिए तथा इस डोक्यूमेंट्स में दी गयी जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता तथा पूर्णता की जांच करनी चाहिए तथा जहां आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए। रास्वापक. संस्थान , उनके कर्मचारी तथा सलाहकार कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं तथा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के लिए किसी भी कानून, नियमों या विनियमों के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं होगा।

संस्थान अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना इस डोक्यूमेंट्स में जानकारी को अपडेट, सुधार व अन्य शुद्धिपत्र के माध्यम से पूरा कर सकता है।

रास्वापक. संस्थान के पास ईओआई को स्वीकार या अस्वीकार करने, बिड प्रक्रिया के दौरान, बिड अवार्ड करने से पूर्व तथा बिडर्स को कोई कारण बताये या बिना बताए किसी भी समय बिड प्रक्रिया को रद्द करने तथा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

निदेशक, रास्वापक. संस्थान

प्रमुख तिथियां तथा कार्यक्रम

1.	परियोजना का नाम	नव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरुव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए पात्र एजेंसियों से "अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए पात्र एजेंसियों का चयन"
2.	परियोजना के बारे में	परियोजना के प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि से 2 वर्ष (24 महीने) की अवधि में नव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का कार्यतरुव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा मौजूदा पुराने छात्रावास का संचालन तथा अनुरक्षण।
3.	निविदा आमंत्रण प्राधिकारी	निदेशक, कार्यशाला एवं अनुरक्षण
4.	प्रकाशन की तिथि	27-05-2022 को <ul style="list-style-type: none"> • दस्तावेज लेखा अनुभाग, प्रथम तल, प्रशासनिक ब्लॉक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 से 5000/- रुपये (अप्रतिदेय) नकद भुगतान करके या ऊपर निर्दिष्ट अनुसार डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। • बोली दस्तावेज सभी कार्य दिवसों में 21-06-2022 को या उससे पहले 16:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। • इसके अतिरिक्त, "निविदा" लिंक के अंतर्गत वेब साइट: www.nihfw.org से बोली दस्तावेज डाउनलोड किया जा सकता है.
5.	दस्तावेज की लागत	INR 5000/- (केवल पांच हजार रुपये) (अप्रतिदेय) बोली दस्तावेजों को जमा करने के समय बोलीदाता बोली की राशि अप्रतिदेय निविदा शुल्क के रूप में "Director, NIHFWS" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी जो कि दिल्ली में देय होगी।
6.	स्पष्टीकरण के लिए संपर्क व्यक्ति	डॉ. मोनिका सैनी, सदस्य सचिव, छात्रावास या प्रभारी, कार्यशाला एवं अनुरक्षण अधिकारी (डब्ल्यूएमओ)
7.	पत्राचार का पता	कार्यशाला एवं अनुरक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 (ई-मेल: wms@nihfw.org)
8.	नामित सदस्यों के साथ साइट विजिट करने की तिथि (2 सदस्यों का विवरण)	सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक या 13-06-2022 . से पहले
9.	ईओआई चर्चा की तिथि तथा स्थान (बोली पूर्व बैठक)	14-06-2022 को @ 11:00 AM , बोर्ड रूम, प्रथम तल, प्रशासनिक ब्लॉक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067

10.	ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि	23-06-2022 को 14:30 Hrs (2:30 PM) तक । ईओआई को ग्राउंड फ्लोर, प्रशासनिक ब्लॉक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 में रिसेप्शन के पास रखे गए निर्धारित टेंडर बॉक्स में डाला जाना चाहिए।
	प्रतिभूति हेतु जमा होने वाली राशि	रु. 25,00,000/- (रु. पच्चीस लाख केवल) बोलीदाता (संघ के मामले में प्रमुख बोलीदाता), बोली के भाग के रूप में रु 25,00,000/- (केवल पच्चीस लाख रुपये) की राशि एक डिमांड ड्राफ्ट जो की "निदेशक, रास्वापक. संस्थान " के पक्ष में दिल्ली में देय होगा बोली की प्रतिभूति राशि के रूप में जमा होगी।
12.	पूर्व योग्यता सह तकनीकी बोली का दिन	23-06-2022 को 15:00 बजे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067
13.	योग्य बोलीदाताओं के लिए वित्तीय बोली खोलने की तिथि, समय तथा स्थान	बाद में सूचित किया जाएगा

नए बने अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरुव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा

पुराने छात्रावास के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए पात्र एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)“

प्रस्तावना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के बारे में

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW), की स्थापना 9 मार्च, 1977 को दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा संस्थान (NIHAE) तथा राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान (NIFP) के विलय से हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु एक विचार मंच होने के साथ साथ एक स्वशासी -शीर्षस्थ तकनीकी संस्थान के रूप में कार्यरत है। यह संस्थान संचार विभागों, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, महामारी विज्ञान, प्रबंधन विज्ञान, चिकित्सा देखभाल एवं अस्पताल प्रशासन, योजना एवं मूल्यांकन, प्रजनन एवं जैव चिकित्सा, सांख्यिकी एवं जनसांख्यिकी तथा सामाजिक विज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी विभिन्न पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (रास्वापक. संस्थान) दक्षिण दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा डीडीए फ्लैट्स मुनिरका के पास तथा बाबा गंग नाथ मार्ग पर स्थित है तथा यहाँ हवाई अड्डे के साथ-साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। मुनिरका मेट्रो स्टेशन निकटतम मेट्रो स्टेशन है जिससे पैदल यहाँ पहुँच सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के बारे में

अंतरराष्ट्रीय छात्रावास संस्थान के परिसर के अंदर स्थित है, जिसका अपना विशिष्ट तथा पूरी तरह से सुरक्षित परिसर है। इसमें तीन मंजिला अंतरराष्ट्रीय छात्रावास भवन शामिल है। भवन में भोजन सेवाओं, रसोई, व्यायामशाला, सम्मेलन हॉल तथा पोर्च क्षेत्र की सुविधा भी है। पोर्च क्षेत्र का उपयोग छोटी गतिविधि के संचालन के लिए भी किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय छात्रावास भवन में निम्नलिखित आवास/सम्मेलन सुविधाएं शामिल हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं: -

<u>विवरण</u>	<u>कमरे तथा अन्य विवरण</u>	<u>कमरे का विवरण प्रत्येक तल के अनुसार</u>	<u>टिप्पणी</u>
भू तल	कुल 09 कमरे + भोजन कक्ष + रसोई क्षेत्र	7 कमरे + 2 सुइट	स्वागत कक्ष, प्रतीक्षालय, सेवा कक्ष, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, विद्युत पैनल कक्ष, स्टोर आदि।
प्रथम तल	कुल 09 कमरे	8 छोटे कमरे + 2 सुइट	सम्मेलन हॉल + जिम
दूसरा तल	कुल 16 कमरे (डबल सीटिंग)	12 छोटे कमरे + 4 सुइट	
तृतीय तल	कुल 16 कमरे (डबल सीटिंग)	12 छोटे कमरे + 4 सुइट	
	कुल = 51 कमरे	39 छोटे कमरे + 12 सुइट	

भवन नवनिर्मित है। सभी कमरे बेड, बेड साइड टेबल, गद्दे, तकिए, वार्डरोब, स्टडी टेबल तथा कुर्सी, कूड़ेदान, पर्दे आदि से सुसज्जित हैं। सुइट रूम सहित सभी कमरे आंतरिक टेलीफोन लाइन, टेलीविजन के प्रावधान, गर्म तथा ठंडे पानी की आपूर्ति आदि से सुसज्जित है। प्रत्येक अतिथि कक्ष में संलग्न शौचालय एवं अलग बालकनी की व्यवस्था है। सभी कमरों/हॉल में सेंद्रल एयर कंडीशनिंग की सुविधा है।

मौजूदा रास्वापक. संस्थान छात्रावास के बारे में

रास्वापक. संस्थान का रास्वापक. संस्थान परिसर में एक छात्रावास है जिसमें रिसेप्शन के साथ 82 सिंगल कमरे, टीवी के साथ लाउंज तथा मॉड्यूलर किचन सुविधाएं हैं। सभी कमरों में एयर कंडीशनर तथा अटैच्ड बाथ रूम हैं। छात्रावास की सेवाएं रास्वापक. संस्थान एमडी छात्रों, रास्वापक. संस्थान में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं को प्रदान की जाती हैं जिनमें मुख्य रूप से चिकित्सा अधिकारी, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा विभिन्न श्रेणियों के मेडिकल तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ शामिल हैं।

संस्थान में बोर्डिंग तथा लॉजिंग की सुविधा है तथा एक बार में 100 से अधिक व्यक्तियों को समायोजित कर सकता है। कमरे पूरी तरह से सुसज्जित हैं तथा आम कमरे में आगंतुकों के लिए पढ़ने तथा टीवी देखने आदि की सुविधाएं हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त भोजन कक्ष तथा रसोई के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित मेस है। छात्रावास का प्रशासनिक कार्य पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है। छात्रावास परिसर के व्यापक कंप्यूटर नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। कमरों का विवरण इस प्रकार है:-

विवरण	कमरे		कुल कमरे	अन्य सुविधाएं	टिप्पणी
	बायाँ विंग (G+1 तल)	दायाँ विंग (G+2 तल)			
भू तल	09	14	23	डाइनिंग हॉल + किचन क्षेत्र, स्वागत क्षेत्र, प्रतीक्षा क्षेत्र,	स्टोर, वार्डन रूम आदि.
प्रथम तल	09	25	34		
दूसरा तल	-	25	25		
कुल कमरे			82		

नोट:- पुराने छात्रावास का नवीनीकरण किया जा रहा है, अनुमानित नवीनीकरण अवधि 06-08 महीने के लिए है, इसके बाद छात्रावास को संचालन तथा अनुरक्षण के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से सौंप दिया जाएगा।

ईओआई के लिए एजेंसियों/बोलीदाताओं की पात्रता:-

निम्नलिखित मानकों को पूरा करने वाली एजेंसी आवेदन करने के लिए पात्र हैं:-

1. एजेंसी के पास कम से कम 50 कमरे के छात्रावास/गेस्ट हाउस के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाएं, हाउसकीपिंग सेवाएं, रिसेप्शन तथा रूम आवंटन, सामान्य अनुरक्षण सेवाएं, स्नानपान सेवाएं इत्यादि प्रदान करने में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव होना चाहिए या 100 मेहमानों का प्रबंधन। बोलीदाताओं की राष्ट्रीय उपस्थिति (पूरे देश में कार्य करने की क्षमता) तथा आईएसओ 9001-2000 प्रमाणन होना चाहिए।
2. एजेंसी को उन फर्मों की सूची या अनुभव प्रमाण पत्र का उल्लेख करना चाहिए जहां उन्होंने कम से कम पिछले 3 वर्षों में समान सेवाएं प्रदान की हैं, साथ ही संपर्क व्यक्ति का नाम, फोन, मेल-आईडी तथा फैक्स नंबर, ताकि यदि आवश्यक हो तो उनकी सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।
3. एजेंसी का औसत वार्षिक कारोबार **रु. 75 लाख** का होना चाहिए। इसके लिए सीए सर्टिफिकेट जरूरी है।
4. बोलीदाता/कंपनी/फर्म/एजेंसी के पास पिछले 3 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/सरकारी विभागों/अनुसंधान संगठनों/प्रतिष्ठित निजी संगठनों को समान सेवाएं प्रदान करने में कम से कम 2 सफलतापूर्वक निष्पादित अनुबंध (प्रत्येक के न्यूनतम मूल्य **75 लाख**) होने चाहिए। जिसमें से कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी विभाग का होना चाहिए।
5. बोलीदाता/कंपनी/फर्म/एजेंसी उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकरण (ईएसआई), ईएसआई, श्रम आयुक्त आदि के साथ पंजीकृत होनी चाहिए।
6. बोलीदाता/कंपनी/फर्म/एजेंसी के पास पिछले तीन वर्षों का वैध पैन नंबर, जीएसटी नंबर तथा आईटीआर होना चाहिए।
7. या तो पंजीकृत कार्यालय या बोलीदाता की एक शाखा कार्यालय दिल्ली में स्थित होना चाहिए।

महत्वपूर्ण नियम तथा शर्तें:-

1. सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों को तकनीकी बोली के लिए तकनीकी बोली प्रपत्र "अनुलग्नक-ए" सहित संपूर्ण सहायक दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा।
2. बोलीदाताओं को उपरोक्त प्रत्येक मानदंड को पूरा करने के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। किसी भी निर्दिष्ट मानदंड के लिए बोलीदाता द्वारा एक साधारण वचनबद्धता उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं होगी।
3. निदेशक को संबोधित संलग्न प्रोफार्मा में ईओआई, **23/06/2022 को दोपहर 2.30 बजे** तक "नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरुव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास का संचालन तथा अनुरक्षण "के लिए "रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के रूप में चिह्नित एक सीलबंद कवर में प्रस्तुत किया जाएगा। बोली रास्वापक. संस्थान, मुनिरका, नई दिल्ली-67 के प्रशासनिक ब्लॉक के स्वागत कक्ष (रिसेप्शन) में रखे गए टेंडर बॉक्स में डाली जानी है। उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. बोली लगाने वाले को रुपये **5000/- (रुपये पांच हजार मात्र)** निविदा शुल्क के रूप "निदेशक, रास्वापक. संस्थान " के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट तथा साथ में एक लिफाफे में सहायक दस्तावेजों इसके शीर्ष पर लिखा हो "नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरुव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास का संचालन तथा अनुरक्षण "के लिए "रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करना होगा। सभी दस्तावेजों को लिफाफे में ठीक से सील कर दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. प्रत्येक एजेंसी निर्धारित तिथि पर रास्वापक. संस्थान में **अधिकतम 2 अधिकारियों** के साथ अंतरराष्ट्रीय छात्रावास का दौरा करने तथा संस्थान को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ सकती है।
6. एजेंसी द्वारा केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर स्थापित किया जाना चाहिए जो हर समय कमरों में रहने वाले व्यक्तियों की सभी सूचनाओं को पूर्ण रूप से दर्ज करेगा।
7. कमरे/स्थान के आवंटन के लिए संस्थान यानि रास्वापक. संस्थान प्रशिक्षण, बैठक, सेमिनार या कोई अन्य कार्यक्रम अग्रिम रूप से साझा करेगा। किसी भी कमरे या सुइट की समय पर उपलब्धता देखने के लिए एजेंसी तथा रास्वापक. संस्थान दोनों के पास एक विस्तृत ऑनलाइन कैलेंडर उपलब्ध होना चाहिए। जब रास्वापक. संस्थान द्वारा कमरों की आवश्यकता नहीं होगी, तो एजेंसी इन कमरों को संस्थान के पूर्व अनुमोदन के पश्चात केवल सरकारी अधिकारियों को पूर्व निर्धारित दर पर किराए पर दे सकती है।
8. संस्थान विस्तार से नियम तथा शर्तें, कमरे के अनुसार दरें तथा संस्थान तथा अन्य मेहमानों के लिए भोजन की दरें आदि साझा कर सकता है।
9. सफल एजेंसी के साथ विस्तृत समझौता किया जाएगा, जिस पर चयनित एजेंसी के कंपनी मालिक तथा निदेशक, रास्वापक. संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुबंध की अवधि शुरू में **02 (दो) वर्षों** के लिए होगी तथा प्रदर्शन के आधार पर इसे **01 वर्ष** के लिए तथा बढ़ाया जा सकता है।
10. चयनित एजेंसी पूरे स्वर्च को सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेगी। संस्थान के अधिकृत अधिकारी को सभी स्वर्चों की जिरह करने का अधिकार है।
11. एजेंसी डिजिटल मोड के माध्यम से होने वाली मासिक आय तथा व्यय (बही) को साझा कर सकती है।
12. संस्थान के पास अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के लेनदेन की लेखा परीक्षा का अधिकार भी सुरक्षित है।
13. संस्थान सफल एजेंसी द्वारा किए गए निवेश पर किसी भी प्रकार की पूंजी अर्थात अतिरिक्त लागत आदि वहन नहीं करेगा।
14. भवन में संरचनात्मक परिवर्तन की अनुमति नहीं है, संस्थान के प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बाद मामूली परिवर्धन / परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।
15. एजेंसी को अंतरराष्ट्रीय छात्रावास को अत्याधुनिक बनाना होगा तथा इसे पेशेवर तरीके से संचालित करना होगा।
16. एजेंसी ईएसआईसी, ईपीएफ, न्यूनतम मजदूरी, बोनस इत्यादि जैसे श्रम कानूनों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

17. किसी भी समय, बोली जमा करने की समय सीमा से पहले, संस्थान किसी भी कारण से ईओआई दस्तावेजों को उपयुक्त संशोधनों द्वारा संशोधित कर सकता है तथा इसकी सूचना संस्थान की वेब साइट पर नियत समय से पहले दी जाएगी। सभी इच्छुक बोलीदाता निविदा बॉक्स में बोली छोड़ने से पहले संस्थान की वेबसाइट देख सकते हैं।
18. आयकर/जीएसटी की कटौती: रास्वापक. संस्थान भारतीय आयकर/कानूनों के प्रावधानों के अनुसार , समय - समय पर इस अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार (यदि कोई हो) को किए जाने वाले सभी भुगतानों से स्रोत पर आयकर तथा किसी भी अन्य कर की कटौती करेगा।
19. संस्थान द्वारा जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
20. अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में क्लॉज:-इस समझौते के अंतर्गत किसी भी पक्ष को उनके द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए आवश्यक, किसी भी दायित्व को निभाने के लिए मजबूर होने की स्थिति में, इस तरह की अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पार्टी के सापेक्ष, यदि ऐसा कोई कारण रहता हो तो, दायित्व अवधि के दौरान निलंबित कर दिया जाएगा। यहां प्रयुक्त शब्द "अप्रत्याशित घटना" का से तात्पर्य होगा कि, एकट ऑफ गॉड के समय, युद्ध, विद्रोह, दंगा, आग, बाढ़ तथा भारत सरकार या इसकी किसी भी अधिकृत एजेंसी के कार्य तथा नियम के तहत अप्रत्याशित घटना/अनचाहे बदलाव की स्थिति में। यदि इन्हीं संबंधित कारणों के होने पर तथा इसकी समाप्ति पर यदि पार्टी का आरोप होता है कि इसे पूर्वोक्त के रूप में अक्षम किया गया है, जिससे दूसरे पक्ष को कथित शुरुआत तथा समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिन के भीतर पूर्ण विवरण तथा संतोषजनक सबूत देते हुए लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। फोर्स मैज्योर की घटना से निलंबित हुए कार्यों या संबंधित दायित्वों के लिए समय, उस अवधि तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए बिना कारण, किसी दंड के संस्थान द्वारा समाप्त या माफ कर दिया जाएगा। यदि कार्य 1 (एक) महीने से अधिक समय तक चलने वाली उन्हीं अप्रत्याशित घटना की स्थिति से निलंबित होता है, तो संस्थान के पास अपने विवेक से अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने का विकल्प होगा। फोर्स मैज्योर की घटना की स्थिति किसी भी परिस्थिति में संस्थान द्वारा देय नहीं होगी। उक्त अप्रत्याशित घटना की अवधि के लिए सेवा प्रदाता को कोई राशि देय नहीं होगा।
21. भोजन, सेवाओं, अनुरक्षण के साथ-साथ आतिथ्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संस्थान जांच की व्यवस्था करेगा।
22. संस्थान एजेंसी को छात्रावास तथा अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के अधिकतम अधिभोग के लिए सुविधा प्रदान करेगा।
23. कर, शुल्क, लेवी आदि: ठेकेदार इस काम में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री वस्तुओं पर सभी करों, शुल्कों, लेवी आदि के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
24. अनुबंध के दौरान, यदि कोई कमी पाई जाती है या पहचान की जाती है या संस्थान के अधिकारियों के संज्ञान में आती है, तो उसे निदेशक द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ठीक /पुनरीक्षित/ संशोधित किया जाएगा। या फिर संस्थान के स्तर पर गठित समिति के माध्यम से (निदेशक, रास्वापक. संस्थान द्वारा उचित समझे जाने पर एजेंसी के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा हो सकते हैं) तथा इसके लिए संशोधित नियम तथा शर्तें भी अनुबंध का हिस्सा होंगी तथा एजेंसी ने उनका पालन करना होगा।
25. रास्वापक. संस्थान निविदा को अंतिम रूप देने से पहले उद्धृत दरों का औचित्य पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. विचाराधीन अनुबंध से उत्पन्न विवाद, यदि कोई हो, का समाधान निदेशक, रास्वापक. संस्थान द्वारा नामित मध्यस्थ के माध्यम से किया जाएगा।
27. अनुबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के अधिकार क्षेत्र को भारतीय कानून के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित अदालतों में निष्पादित किया जाएगा।
28. निदेशक, रास्वापक. संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी ईओआई को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

प्रदर्शन तथा दक्षता के विशिष्ट संकेतक "नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरुव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास का संचालन तथा अनुरक्षण " के लिए उद्देश्य / मूर्त वितरण योग्य हैं।

तकनीकी मूल्यांकन 100 अंकों का होगा तथा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा: -

विवरण	अंकन योजना	अधिकतम अंक	योग्यता के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक	प्राप्त अंक (समिति द्वारा)
100 अतिथि कमरे या 200 अतिथि के साथ छात्रावास सेवाओं के संचालन तथा अनुरक्षण प्रदान करने के वर्षों के अनुभव की संख्या	05 वर्ष के अनुभव के लिए 04 अंक, तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01 अंक, अधिकतम 10 अंक	10	4	
आईएसओ प्रमाणन	प्रत्येक प्रमाणन के लिए 01 अंक SA 8000:2008, ISO 18001:2007, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 45001:2018	5	3	
100 अतिथि कमरों या 200 मेहमानों के साथ अनुबंधों की संख्या	ऐसे 2 अनुबंधों के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक अतिरिक्त अनुबंध के लिए 1 अंक, अधिकतम 5 अंक	5	3	
छात्रावास सेवाओं के संचालन तथा अनुरक्षण में पिछले 3 वर्षों के लिए सालाना 75 लाख का न्यूनतम औसत कारोबार	न्यूनतम टर्न-ओवर के लिए 3 अंक (पिछले 3 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 75 लाख) तथा प्रत्येक अतिरिक्त 50 लाख के लिए 1 अंक, अधिकतम 10 अंक	10	5	
सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/बड़ी, प्रतिष्ठित निजी कंपनियों को छात्रावास सेवाओं का संचालन तथा अनुरक्षण प्रदान करने का अनुभव।	पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक 75 लाख मूल्य के न्यूनतम दो अनुबंधों के लिए 4 अंक तथा 50 लाख मूल्य के प्रत्येक अतिरिक्त अनुबंध के लिए 2 अंक तथा न्यूनतम 25 लाख के प्रत्येक अतिरिक्त अनुबंध मूल्य के लिए 1 अंक अधिकतम 10 अंकों के अधीन	10	4	
ग्राहकों से प्रतिक्रिया (वर्तमान सहित 3 ग्राहकों से)	उत्कृष्ट 2.5 अंक, बहुत अच्छे 1.5 अंक, अच्छे 1 अंक, उचित 0 अंक, अधिकतम 5 अंक।	5	3	
प्रस्तावित सॉफ्टवेयर तथा उसकी क्रियाविधि (प्रस्तुति के बाद अंक दिए जाएंगे)	उत्कृष्ट 2.5 अंक, बहुत अच्छे 1.5 अंक, अच्छे 1 अंक, उचित 0 अंक, अधिकतम 5 अंक।	5	3	

तकनीकी समिति को प्रस्तुतिकरण तथा तकनीकी समिति द्वारा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन तथा /या बोलीदाता के वर्तमान ग्राहकों की साइट-विजिट	तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन	50	20	
कुल		100	45	

1. एक बोलीदाता को तकनीकी रूप से योग्य होने के लिए ऊपर वर्णित प्रत्येक श्रेणी के तहत कम से कम न्यूनतम अंक तथा तकनीकी मूल्यांकन में कुल मिलाकर न्यूनतम **45** अंक प्राप्त करने होंगे।
2. वित्तीय मूल्यांकन पर केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए विचार/आह्वान किया जाएगा।

एजेंसी से उम्मीद:-

अ. मौजूदा अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के कार्य का दायरा इस प्रकार है:- एजेंसी अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरुव्यवस्था, परिसंपत्ति प्रबंधन तथा संचालन आदि की व्यवस्था करेगी। अंतरराष्ट्रीय छात्रावास में कुछ बुनियादी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के पश्चात एजेंसी अंतरराष्ट्रीय छात्रावास का संचालन कर सकती है जैसे: -

- क. आवश्यक वस्तुओं की स्वरीद तथा स्थापना द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के बुनियादी ढांचे की स्थापना।
- ख. सीसीटीवी, वाई-फाई, टेलीफोन आदि जैसी सभी सेवाओं को कार्य करने योग्य बनाना।
- ग. ब्रॉडबैंड/इंटरनेट कनेक्शन लेना
- घ. टीवी का पी/एफ के साथ टीवी नेटवर्क सेवा तथा कनेक्शन
- ङ. मिनी फ्रिज का पी/एफ (आवश्यकता के अनुसार)
- च. दरवाजे की घंटी आदि लगाना।
- छ. टेलीफोन कनेक्शन
- ज. छात्रावास संचालन से पहले स्थानीय अधिकारियों से लागू लाइसेंस (यदि कोई हो) प्राप्त करेंगे।
- झ. मौजूदा अंतरराष्ट्रीय छात्रावास सेवाओं जैसे एचवीएसी, विद्युत प्रणाली तथा पैनलों, लिफ्टों के अनुरक्षण तथा संचालन, अग्निशमन उपकरण, सिविल संबंधी अनुरक्षण आदि का अनुरक्षण (एएमसी) सभी तरह से पूर्ण।
- ञ. प्रबंधक (एस), रिसेप्शनिस्ट, अटेंडेड, शेफ, कुक, वेटर, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्टोर कीपर आदि कर्मचारियों की नियुक्ति तथा कार्यबल को जुटाना।
- ट. ओपन टैरेस क्षेत्र का विकास करना जिसमें कुछ मनोरंजक गतिविधियां की जा सकती हैं
- ठ. आवश्यक वस्तुओं की स्वरीद तथा स्थापना द्वारा जिम क्षेत्र को कामकाजी बनाना।
- ड. संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय छात्रावास संचालन तंत्र के लिए एकल स्विडकी सॉफ्टवेयर समाधान का विकास।
- ढ. सेंट्रल सॉफ्टवेयर के जरिए रूम बुकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंफ्लेंट रिड्रेसल आदि।
- ण. सेंट्रल सॉफ्टवेयर के जरिए इंटरनेशनल हॉस्टल यानी रूम बुकिंग आदि का संचालन।
- त. हाउसकीपिंग तथा सुरक्षा सेवाएं।
- थ. उपरोक्त के अलावा एजेंसी आवश्यकताओं को भी प्रक्षेपित कर सकती है।

आ. मौजूदा पुराने छात्रावास के कार्य का दायरा निम्नानुसार है: - चूंकि छात्रावास चालू अवस्था में है तथा इसका संचालन संस्थान द्वारा ही किया जाता है। संस्थान द्वारा पुराने छात्रावास के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है तथा आगामी 06-08 माह में नवीनीकरण का

कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अलावा, छात्रावास में उचित स्वागत कक्ष, प्रतीक्षालय, रसोई, स्टोर, पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र आदि के साथ प्रत्येक कमरे के लिए वस्तुओं/सामान की पूरी सूची है।

नवीनीकरण पूरा होने के पश्चात, संस्थान उपलब्ध उपभोज्य तथा गैर-उपभोज्य सूची के साथ छात्रावास को चयनित एजेंसी को सौंप दिया जाएगा, जिसके पश्चात चयनित बोलीदाता उचित आवश्यकता (आवश्यकताओं) के अनुसार नई सुविधाएं जोड़ सकता है तथा छात्रावास को चला सकता है। इस छात्रावास की कार्य विधि भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के संचालन के समान है, जैसे:-

- क. छात्रावास संचालन से पहले स्थानीय अधिकारियों से लागू लाइसेंस (यदि कोई हो) प्राप्त करेंगे।
- ख. मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास सेवाओं जैसे एचवीएसी, विद्युत प्रणाली तथा पैनलों, लिफ्टों के अनुरक्षण तथा संचालन, अग्निशमन उपकरण, सिविल संबंधी अनुरक्षण आदि का अनुरक्षण (एएमसी) सभी तरह से पूर्ण।
- ग. प्रबंधक (एस), रिसेप्शनिस्ट, अटेंडेड, शेफ, कुक, वेटर, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्टोर कीपर आदि कर्मचारियों की नियुक्ति तथा कार्यबल को जुटाना।
- घ. केंद्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास संचालन क्रियाविधि अर्थात कक्ष बुकिंग, सूची प्रबंधन, अनुपालन निवारण आदि के लिए एकल खिड़की सॉफ्टवेयर समाधान का विकास।
- ङ. हाउसकीपिंग तथा सुरक्षा सेवाएं।
- च. उपरोक्त के अलावा एजेंसी आवश्यकताओं को भी प्रक्षेपित कर सकती है।

नोट: -

1. संस्थान मौजूदा पुराने छात्रावास तथा अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास की उपलब्ध सूची को सौंपेगा।
2. उपरोक्त को पूरा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास को क्रियाशील बनाने के लिए आवंटित समय 06 महीने का है।
3. अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास को अत्याधुनिक बनाने के लिए एजेंसी को विवरण अर्थात मर्चें की सूची एक अलग शीट में प्रस्तुत करनी होगी।
4. पुराने छात्रावास के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होने के बाद छात्रावास को संचालन के उद्देश्य से चयनित एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। सुविधाओं को स्थापित करने तथा चालू करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
5. संपूर्ण इन्चेंटरी/रूम बुकिंग/स्टॉक प्रबंधन/व्यय किया गया व्यय आदि सॉफ्टवेयर आधारित होगा।

प्रकाशन की तिथि: 27-05-2022

दस्तावेज लेखा अनुभाग, प्रथम तल, प्रशासनिक ब्लॉक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 से 5000/- रुपये (अप्रतिदेय) नकद भुगतान करके या ऊपर निर्दिष्ट अनुसार डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बोली दस्तावेज सभी कार्य दिवसों में दिनांक 21-06-2022 को या उससे पहले 16:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त, "निविदा" लिंक के अंतर्गत वेब साइट: www.nihfw.org से बोली दस्तावेज डाउनलोड किया जा सकता है।

रास्वापक. संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में विजिट/भ्रमण की तिथि:

एजेंसी दिनांक 13-06-2022 को या उससे पहले सभी कार्य दिवसों यानी सोमवार से शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास तथा पुराने छात्रावास का दौरा कर सकती है। विजिटिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों के पास अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के निरीक्षण के लिए प्राधिकरण पत्र होना चाहिए तथा मेल तथा टेलीफोन के माध्यम से यात्रा की पूर्व सूचना की सराहना की जाएगी।

बोली पूर्व बैठक: 14-06-2022

बोर्ड रूम, प्रथम तल, प्रशासनिक ब्लॉक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी कंपनियों का लेटर हेड साथ रखें ताकि वे अपने प्रश्न लिखित रूप में पूछ सकें। संस्थान केवल लिखित रूप में प्रश्नों पर विचार करेगा तथा दो प्रतिनिधियों को प्राधिकरण पत्र (यदि कंपनी/एजेंसी/फर्म आदि की ओर से भाग लिया गया है) के साथ बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

वित्तीय:

वित्तीय बोली का प्रारूप तकनीकी मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं के साथ साझा किया जाएगा।

निष्पादन प्रतिभूति:

सफल एजेंसी को पुरस्कार पत्र जारी होने के 15 दिनों के अंदर "निदेशक, रास्वापक. संस्थान " के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 25 लाख रुपये की निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एवं परिवार कल्याण

बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-67

ईओआई के लिए आवेदन

सेवा में,

निदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एवं परिवार कल्याण

मुनिरका, नई दिल्ली-67

विषय: नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरुव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास का संचालन तथा अनुरक्षण महोदय,

आपके ईओआई दस्तावेज़ दिनांक **27-05-2022** के संदर्भ में, मैंने/हमने, दस्तावेज़ की जांच की है तथा इसकी सामग्री को समझ लिया है, एतद्वारा उपरोक्त परियोजना के लिए योग्यता के लिए मेरा/हमारा आवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आवेदन बिना शर्त तथा सत्यता के साथ है।

क. बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सत्य एवं सही है तथा आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों के मूल की सही प्रतियां संलग्न हैं।

ख. यह विवरण उपरोक्त परियोजना के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बोलीदाता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के स्पष्ट उद्देश्य से दिया गया है।

ग. मैं/हम आवश्यक होने पर या योग्यता विवरण को पूरक या प्रमाणित करने के लिए तथा किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध रहेंगे।

घ. मैं/हम बिना कोई कारण बताए या अन्यथा आवेदन को अस्वीकार करने के प्राधिकरण के अधिकार को स्वीकार करते हैं एतद्वारा, लागू कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक, किसी भी स्वाते में इसे चुनौती देने के हमारे अधिकार का अधित्याग करता हूँ।

ङ. हम प्रमाणित करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, हम कंसोर्टियम के किसी भी सदस्य ने न तो किसी अनुबंध पर प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं, जैसा कि दंड या न्यायिक घोषणा या मध्यस्थता पुरस्कार लगाने से स्पष्ट है, न ही किसी परियोजना या अनुबंध से निष्कासित किया गया है तथा न ही हमारी ओर से उल्लंघन के लिए किसी भी अनुबंध को समाप्त किया गया।

च. मैं/हम घोषणा करते हैं कि:-

- i. मैंने/हमने जांच की है तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी परिशिष्ट सहित ईओआई दस्तावेज से कोई आपत्ति नहीं है।
- ii. ईओआई दस्तावेज़ की योग्यता प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हितों के संबंध में मेरा/हमारा कोई विरोध नहीं है; तथा
- iii. मैं/हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से किसी भी निविदा या प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या कोई सरकार, केंद्र या राज्य के साथ किए गए किसी भी समझौते के संबंध में किसी

भी भ्रष्ट आचरण, धोखाधड़ी अभ्यास, जबरदस्ती अभ्यास, अवांछनीय अभ्यास या प्रतिबंधात्मक अभ्यास में शामिल या लिप्त नहीं हैं; तथा

- iv. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हमारे लिए या हमारी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण व्यवहार, जबरदस्ती अभ्यास, अवांछनीय व्यवहार या प्रतिबंधात्मक अभ्यास में शामिल ना हो।
- छ. मैं/हम समझते हैं कि संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बोली प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।
- ज. मैं/हम घोषणा करते हैं कि हम/संघ का कोई भी सदस्य पूर्व-योग्यता के लिए आवेदन करने वाले किसी अन्य संघ के सदस्य नहीं है/हैं।
- झ. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखंडता के अलावा अन्य मामलों के संबंध में, हमें किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या नियामक प्राधिकरण द्वारा पारित अभियोग या प्रतिकूल आदेश नहीं दिया गया है जो परियोजना को शुरू करने की हमारी क्षमता पर संदेह कर सकता है या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित है जो समुदाय की नैतिक भावना को ठेस पहुंचाता है।
- ञ. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में, हमारे द्वारा या हमारे किसी सहयोगी द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए सरकार की किसी एजेंसी द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है।
- ट. मैं/हम वचन देते हैं कि यदि बोली प्रक्रिया के दौरान तथ्यों या परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के कारण, हम ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अयोग्यता के प्रावधानों से आकर्षित होते हैं, तो हम तुरंत इसके बारे में प्राधिकरण को सूचित करेंगे।
- ठ. मैं/हम एतद्वारा किसी भी अधिकार का अनिवर्तनीय रूप में त्याग करते हैं जो हमारे पास कानून के किसी भी स्तर पर हो सकता है या जो भी अन्यथा आवेदकों के चयन, बोली लगाने वाले के चयन, या चयन/ बोली प्रक्रिया के संबंध में, उपर्युक्त परियोजना तथा उसके नियमों तथा कार्यान्वयन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को चुनौती देने या प्रश्न करने के लिए उत्पन्न होता है।
- ड. मैं/हम ईओआई दस्तावेज के सभी नियमों तथा शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं तथा वचन देते हैं।
- ढ. इसके साक्ष्य में, मैं/हम इस आवेदन को ईओआई दस्तावेज की शर्तों के तहत तथा उसके अनुसार प्रस्तुत करते हैं।

सादर,

(मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक :

स्थान :



राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एवं परिवार कल्याण,
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067

तकनीकी बोली के लिए प्रोफार्मा

विषय:- रास्वापक. संस्थान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरुव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास का संचालन तथा अनुरक्षण के क्षेत्र में पात्र एजेंसियों से प्रस्ताव के लिए अनुरोध।

क्रमांक	विवरण	जानकारी यहाँ प्रस्तुत करें		प्रति की पृष्ठ संख्या संलग्न
1.	कंपनी का नाम			
2.	पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता			
3.	टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स नंबर			
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम			
5.	पंजीकरण संख्या की प्रति के साथ निम्नलिखित का पंजीकरण।		पंजीकृत संख्या	
	ए) जीएसटी की पंजीकरण संख्या	हां/नहीं	क.	
	बी) ईपीएफ की पंजीकरण संख्या	हां/नहीं	ख.	
	सी) ईएसआईसी की पंजीकरण संख्या	हां/नहीं	ग.	
	डी) श्रम लाइसेंस पंजीकरण संख्या	हां/नहीं	घ.	
	ई) एजेंसी का पैन नंबर	हां/नहीं	ड.	
6.	पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न	हां/नहीं		
7.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में बोलीदाता का औसत वार्षिक कारोबार रु 75 लाख (छात्रावास सेवाओं का संचालन तथा अनुरक्षण) होगा। एजेंसी को इसके लिए सीए सर्टिफिकेट देना होगा।	हां/नहीं	2019-2020 = 2020-2021= 2021-2022=	

8.	बोलीदाता के पास कम से कम 50 कमरे के छात्रावास/गेस्ट हाउस या सरकारी संगठनों के साथ-साथ एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित निजी संगठन (ओं) में 100 मेहमानों की संख्या के छात्रावास सेवाओं के संचालन तथा अनुरक्षण में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	हां/नहीं	वर्ष, लागत तथा विभाग जैसे कार्य का विवरण: 1. 2.	
9.	कम से कम 50 या अधिक कमरों की क्षमता के वर्तमान में गतिशील 1 (एक) समान अनुबंध का विवरण।	हां/नहीं		
10.	बोलीदाता को उन फर्मों की सूची शामिल करनी चाहिए जहां उन्होंने कम से कम पिछले 5 वर्षों में समान सेवाएं प्रदान की हैं, साथ ही वहाँ पर कार्यरत किसी संपर्क व्यक्ति का नाम, फोन, मेल-आईडी तथा फैक्स नंबर प्रदान करें जिनसे आवश्यक होने पर संपर्क किया जा सके।	हां/नहीं		
11.	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / सरकारी विभागों / अनुसंधान संगठनों / प्रतिष्ठित निजी संगठनों को समान सेवाएं प्रदान करने के लिए बोलीदाता / कंपनी / फर्म / एजेंसी के पास पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 सफलतापूर्वक निष्पादित अनुबंध होने चाहिए, जिनमें कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी/सरकारी विभाग से होना चाहिए (उसके लिए पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ कार्य आदेश आवश्यक है- क्रॉस सत्यापन के लिए संपर्क नंबर भी आवश्यक है)	हां/नहीं		
12.	या तो पंजीकृत कार्यालय या बोलीदाता की एक शाखा कार्यालय दिल्ली तथा दिल्ली एनसीआर में स्थित होना चाहिए।	हां/नहीं		
13.	पत्र शीर्ष पर प्रमाण पत्र कि एजेंसी को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/सरकारी विभागों/अनुसंधान संगठनों/प्रतिष्ठित निजी संगठनों द्वारा ब्लैक-लिसटेड नहीं होना चाहिए (फॉर्म-2)।	हां/नहीं		
14.	एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए।	हां/नहीं		

अंडरटेकिंग: मैंने इस निविदा के सभी सामान्य नियमों तथा शर्तों, कार्यक्षेत्र तथा अन्य सभी स्पेशिफिकेशंस(Specifications) को ध्यान से पढ़ लिया है तथा समझ लिया है।

नोट: बिडर्स को उपरोक्त उल्लेखित न्यूनतम योग्यता मानदंडों के आलोक में, प्रत्येक के समर्थन में डोक्यूमेंटरी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा। किसी भी निर्दिष्ट मानदंड के लिए बिडर के द्वारा एक साधारण अंडरटेकिंग पर्याप्त नहीं होगी। सभी डोक्यूमेंटरी प्रूफ कंपनी के लेटरहेड पर सूचीबद्ध होने चाहिए तथा लिफाफे में संलग्न होनी चाहिए तथा इसे टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए अर्थात् 'अनुलग्नक'-क' के साथ-साथ, फॉर्म-I, फॉर्म-II तथा फार्म-III के रूप में संलग्न प्रोफार्मा भी जमा करना चाहिए।

मैं एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैं निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

(मोहर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

हस्ताक्षरकर्ता के नाम:

सेवा प्रदाता का नाम:

संपर्क विवरण:

पता:

दिनांक:

स्थान:

अंडरटेकिंग

बिडर्स को अपने संस्थान के लेटरहेड पर, नीचे दिए गए प्रारूप में एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना चाहिए।

[संगठन के लेटरहेड पर]

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव/दस्तावेज/स्पष्टीकरणों के अनुसार यहां दी गयी जानकारी सत्य तथा सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया या छेड़-छाड़ नहीं किया गया है। हमने ईओआई की सभी शर्तों को पढ़ लिया है तथा किसी भी झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

हमने ईओआई तथा उसके अनुबंधों व सभी अनुलग्नकों / परिशिष्टों के प्रावधानों को पढ़ लिया है। हम समझते हैं कि हमारे प्रस्ताव में पाई जाने वाली कोई भी अतिरिक्त शर्तें, भिन्नताएँ, बदलाव, सुझाव, अनुमान यदि कोई हो, उसको प्रभावी नहीं किया जाएगा तथा हमारे प्रस्ताव को यदि स्वीकार किया जाता है , तो रास्वापक. संस्थान पर बाध्यकारी नहीं होगा।

हम समझते हैं कि रास्वापक. संस्थान के हॉस्टल को फंक्शनलाईज, संचालन तथा मेंटेनेंस के आधार पर निष्पादित किया जाना है तथा इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई भी घटक या सेवा रास्वापक. संस्थान को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के, हमारी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांक.....2022

हस्ताक्षर

(बिडर की मुहर),

पद:

अधिकृत व्यक्ति:

नोट: कंसोर्टियम के मामलों में सभी पक्षों के द्वारा यह अंडरटेकिंग देनी होगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि तक, बिडर को किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया है।
(संस्थान के लेटरहेड पर)

दोषसिद्धि न होने के संदर्भ में प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि (संगठन का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय.....
है.....पता,....., प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि तक, हमारी एजेंसी को भारत में किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा ब्लैकलिस्ट में
नहीं डाला गया है।

हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

पदनाम:

योग्यता पत्र

(गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर तैयार कर प्रस्तुत करना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हम....., पता.....एनआईएचएफ़डबल्यू के नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के फंक्शनलाईजेशन, संचालन तथा अनुरक्षण तथा संस्थान के मौजूदा, पुराने छात्रावास को संस्थान की आवश्यकतानुसार, संचालन तथा अनुरक्षण को सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए योग्य तथा वित्तीय रूप से सक्षम है। यह बोली इस परियोजना के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने के बाद, साईट निरीक्षण करने तथा संस्थान को सेवाएं प्रदान करने के लिए सांस्थानिक आवश्यकताओं को समझने के बाद प्रस्तुत की जा रही है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त भवनों को फंक्शनलाईज, संचालन तथा अनुरक्षण के लिए हमारे द्वारा तैनात किए जाने वाले संसाधनों की गुणवत्ता तथा संख्या, निर्धारित समय सीमा के भीतर, पेशेवर (प्रोफेशनल) तथा सक्षम रूप से सेवाएं देने के लिए पर्याप्त होगी।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस ईओआई के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत की गयी सभी जानकारी सत्य तथा सही है।

धन्यवाद,

सादर,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम,

पदनाम:

मुहर:

दिनांक:

पता:

दस्तावेज समाप्त